आदेश की क्रम सं0 और तिथि	न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह। (जिला राजस्व शाखा) विविध वाद सं0–02/2012–13 गुलाब मियां बनाम बीबी कबीरन एवं अन्य	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी की तिथि सहित
1	2	3

04.07.23

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। अपीलार्थी गुलाब मियां पिता बांधो मियां, साकिन तिरला, अंचल बगोदर, जिला गिरिडीह द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह के विविध वाद सं0–194/2010–11, 303/2011–12 में दिनांक 16.01.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया रिभिजन अपील वाद एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता के पक्ष–कथन को सुना एवं अवलोकन किया।

वादगत भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

अंचल	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं.	कुल रकवा (एकड़ में)	भूमि की किस्म
बगोदर	जमुनिया	101	16	–	12.88	रैयती

वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है :–

प्रथम पक्ष गुलाब मियां पिता बांधो मियां के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादगत भूमि मौजा जमुनिया, थाना बगोदर में स्थित है जिसका खाता सं0–16 रकवा 12.88 एकड जमीन खतियान में लटु मियां वगैरह के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि का लगान बकाया रहने के कारण तत्कालीन जमीन्दर बरजू महतो वगैरह ने निलाम करवाया। जिससे आवेदको के पूवर्ज सहदली मियां ने सर्टिफिकेट वाद सं0–351/1932–33 (851/1932–33) द्वारा खरीद कर दाखलकर हुए। अपीलकर्ता निलामी बिक्री कर्ता सहदली मियां के वंशज एवं कानूनी उतराधिकारी है उक्त भूमि पर सहदली मियां का भौतिक कब्जा है। जमीनदारी निहित करने के बाद उसका नाम पंजी–II में दर्ज किया गया और उसके नाम पर जमाबंदी खोली गयी थी और वह बिहार राज्य को लगान दे रहा था और उसका उतराधिकारी झारखण्ड राज्य को लगान दे रहा है परन्तु विपक्षी लोग बाजबरन जमीन जोत लिए है। निलामी के मामले में क्रेता सहदलही मियां के वारिसों ने किसी को भी एक इंच की जमीन का पट्टा नही दिया है और न ही कोई जाली डीड के बारे में कोई जनकारी है। सभी ब्रिकी विलेख जाली और मनगढ़ंत(काल्पनिक) है। उनके द्वारा प्रतिवादी के मांग के लिए उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित अभिकथन है कि भूमि के नीलामी के संबंध में जिला अभिलेखागार, हजारीबाग द्वारा निर्गत प्रमाणित प्रतिलिपि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में दाखिल किया गया है कि इजराय पंजी में वाद सं0–851/1932–33 का जिक्र नही मिलता है। वर्ष 1932–33 में अधिकतम वाद नम्बर 348/1932–33 का जिक्र मिलता है जिसका निष्पादन दिनांक

08.01.1934 को हुआ है। द्वितीय पक्ष का यह भी कथन है कि जब 1932–33 में इजराय वाद सं0–348 ही दर्ज हुआ है तो अपीलार्थी इजराय वाद सं–851/1932–33 या 351/1932–33 की प्रतिलिपि दाखिल कर रहे है जो गलत, बनावटी एवं जाली है। उपरोक्त वाद में खतियानी रैयत लट्टू मियां पिता पुरन मियां, टिको मियां पे0 सोना मियां, कादिर मियां पे0 रघु मियां एवं अकल मियां पे0 ब्खौरी मियां साकिन तिरला थे।

खतियानी रैयत टिको मियां के पुत्र सहदली मियां थे जो खानदान में बड़े थे इसलिए पंजी–II में सहदली मियां वगैरह का नाम दर्ज कर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत किया जा रहा है। सहदली मियां की पत्नी मो0 एलीमन द्वारा खतियानी रैयत लट्टू मियां की पुत्री तथा उगन मियां की पत्नी मसो0 झुनवा से दिनांक 15.02.1960 को निबंधित केवाला द्वारा मौजा जमुनिया, थाना नं0 101, खाता नं0 16, रकवा 2.83 एकड़ कुल उनतीस प्लॉटों में खरीद किया है जो दर्शता है कि उपरोक्त खाता प्लॉट की जमीन कभी नीलाम नही हुई थी और नीलामी में सहदली मियां ने नही खरीदा था। खतियानी रैयत के वंशज सोमर मियां और मोहीउद्दीन अंसारी द्वारा निबंधित केवाला संख्या–7858 के माध्यम से दिनांक 19.08.1995 मौजा जमुनिया खाता नं0–16, प्लॉट नं0–372 की जमीन बिक्री की गयी जिसमें सहदली मियां के पुत्र हनीफ मियां पहचान बने थे। अगर सहदली मियां द्वारा नीलामी से वर्ष–1932–33 में मौजा जमुनिया खाता नं0 16, की सम्पूर्ण जमीन खरीदी की गयी होती तो सहदली मियां की पत्नी पुनः खतियानी रैयत के वंशज से जमीन नही खरीदते तथा सहदली मियां के पुत्र हनीफ मियां खतियानी रैयत के द्वारा उपरोक्त खाते प्लॉट के जमीन बिक्री करते समय निबंधित केवाला में गवाह पहचान नही बनते।

उपरोक्त वाद में दाखिल नीलामी का वाद सं0–851/1932–33 या 351/1932–33 के अवलोकन से ज्ञात होगा कि उपर्युक्त जमीन के नीलामी कर्ता बरजू महतो वगैरह थे जबकि खतियान में मालिक खेवट नं0–3/4 लगान पाने वाले जमीनदार राजा रामगढ़ वगैरह दर्ज है। यह कि नीलाम पत्र सं0–115 सन् 1939 में दिनांक 10.05.1939 को निलाम पत्र पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा खतियानी रैयत लट्टू मियां पिता पुरन मियां साकिन तिरला के नाम से 95 रूप्ये का निलाम पत्र दिया गया जिसमें दिनांक 15.05.1939 को 11 बजे दिन न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया। अगर 851/351/1932–33 के द्वारा दिनांक 10.08.1932 को आरम्भ कर दिनांक 10.01.1933 को उपरोक्त खाता प्लॉट की निलामी हुई तो पुनः 1939 में खतियानी रैयत के नाम से नीलाम करने का नोटिस जारी किया गया जो दर्शता है कि कथित निलाम पत्र वाद सं0 851/351/1932–33 हुआ ही नही था तथा जाली निलाम पत्र के आधार पर अपीलार्थी उपरोक्त वाद को लाए है।

–: विचारण व निर्णय :–

अभिलेखापाल, जिला अभिलेखागार, हजारीबाग द्वारा द्वितीय पक्ष को दी गई सूचना में स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ष–1932–33 में अधिकतम केस नं0–348/1932–33 का जिक्र मिलता है, जिसका निष्पादन 28.01.1934 को हुआ है। जबकि इजराय

रजिस्ट्रर में केस नं0–851/1932–33 का जिक्र नहीं मिलता है जिसका दावा गुलाम मियां वगैरह द्वारा किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अब तक इस खाते में लगभग 07 (सात) लोगों की भूमि हस्तांतरण हुआ है, जिसका लगान रसीद निर्गत हो रहा है तथा वे दखल कब्जा में है। ऐसे स्थिति में सहदली मियां के वारिसन शांत क्यों थे। उन्हे co-sharer rent reduction हेतु आवेदन समर्पित करना चाहिए था। इससे स्पष्ट होता है कि नीलाम पत्र वाद–351(851)/1932–33 हुआ ही नही। अगर नीलम पत्र वाद की कार्रवाई हुई होती, तो जिस प्रकार नीलम पत्र वाद सं0–115/39–40 में सर्टिफिकेट होल्डर के0एन0 सिंह राजा रामगढ़ थे उसी प्रकार 1932–33 में भी होना चाहिए था न कि बरजू महतो वगैरह। आवेदक द्वारा की गई दावा की विपक्षी द्वारा जबरन उनकी भूमि पर दखल कब्जा किया गया है यह सही प्रतीत नही होता है। उक्त संदर्भ में माननीय व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद सं0–04/2010 आवेदक द्वारा दायर किया गया है उसका भी आधार नीलाम पत्र वाद सं0–351(851)/1932–33 है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा विविध वाद सं0–194/2010–11, 303/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2012 को यथावत रखा जाता है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। पारित आदेश की प्रति अनुपालन हेतु संबंधित निम्न न्यायालय को भेजें तथा उभय पक्ष को भी अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

Wilson 08/07/23

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

Wilson 08/07/23

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

Digitally signed by Wilson Bengra
Date: 2023.11.29 11:20:50 +05:30
Location: 192.168.101.9